रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-210/2017/1770/22-2-2016-17(186)/2006

लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **आदर्श कारागार/नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ** की सिद्वदोष महिला **बन्दी मुन्नी द्विवेदी (बन्दी संख्या-364/एन0बी0एन0) पत्नी श्री महेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम-बैना, थाना-राजपुर, जिला-कानपुर देहात,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-15/1994** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34, 201/34, 498ए** के अधीन **दिनांक 01-03-1996** को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, द0प्र0 क्षेत्र, ललितपुर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-210/2017/1770(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

3-पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।

4-अधीक्षक, आदर्श कारागार/नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in